HRCI का राजपश्च Che Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 22]

नर्ग विस्ली, शांनवार, जून 3,1978/जयेट 13, 1900 NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3, 1978/JYAISTHA 13, 1900

इस भाग में भिष्म पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के कप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> मता II—खण्ड 3—जप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को ओड़कर) भारत सरकार से मंत्रालयों और (संय राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के ग्रावेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह संज्ञालय

नई दिल्ली, 3 मई, 1978

सा॰का॰िन 695.---राष्ट्रपति, संविधान के धनुक्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त कार्यवा का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय धरिनणमन तेवा महाविद्यालय, नागपुर में लेखाकार धौर पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर भतीं की पद्मति को विनियमित करने वाले निम्माविद्यत नियम बनाते हैं:---

- 1. संकिष्त नाम और प्रारंभ :---1: इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मनिशामन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (केवाकार और पुस्तकालय सध्यक्ष) भर्ती नियम, 1978 है।
 - (2) ये राजपन्न के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना : ये नियम इससे उपावद अनुसूची के स्तम्म 1 में विनिधिक्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और देतनमान उनत पर्यो की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके देतनमान दे होंगे जो इससे उपायद घनुभूची के स्तम्म 2 से 4 तक में विनिद्दिष्ट हैं।
- 4. भर्सी की पद्धति, शायु-सीमा भीर भईताएं ग्रावि:—जन्स पर्यो पर भर्ती की पद्धति, भायु-सीमा, भईताएं भीर उनसे संबंधित श्रन्थ वातें वे होंगी जो पूर्वोधस अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में पिनिधिष्ट हैं।

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिधिष्ट अधिकतम भागु-सीमा केलीय मरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आवेशों के अनुसार भनु-सूभित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के भामले में शियिल की जा सकती है। 193 GI/78—1 (1245)

स्वास्थ्य और परिवार कस्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विद्याग)

नई विल्लो, 23 मई, 1978

साव कात कि 203. ---राष्ट्रपति, संविधाम के मनुष्छेव 309 के परन्तुक द्वारा प्रवश शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीवसीवजीव वैश्विसन प्रयोगशाला, गुइण्डी, महास में समूह 'ख' पवों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ग्रथीत् :--

- 1. संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ.—(1) इत नियमों का संक्षिप्त नाम बी०सी०औ० वैक्सिन प्रयोगशाला, गुइण्डी, महास (समूह 'ख' पद) मर्सी नियम,
 - (2) यह राजपन्न में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगें।
 - 2. लागू होना :---ये नियम इससे उपायद अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्विष्ट पदों को लागू होंगें।
- 3. पव संख्या, वर्गीकरण भीर वेतनमान.—जन्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण भीर अनके वेतनमान वे होंगें जो इससे उपाबह भनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विभिद्यिष्ट हैं।
- 4. धर्ती की पदाति, भायु सीमा भौर भन्य शहंताएं.---उक्त पदों पर भर्ती की पदाति, भायु-सीमा भहंताएं और उनसे संबंधित भन्य बातें वे होंगी जी पूर्वोक्त भनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विगिषिष्ट हैं।
 - निर्म्हताएं.—वह व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,
- (ख) जिसने भ्रपमे पति या भपने पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, जनत पदों में से किसी नियुक्ति का पान नहीं होगा : परम्यु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान ही जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति भौर ऐसे विवाह के भन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के भ्रधीन भन्द्रीय हैं भौर ऐसा करने के लिए भन्य भाधार मौजूब हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट वे सकेगी।
- 6. नियम विधित करने की शक्ति.—जहां कैन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना झावश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जौ कारण हैं, उन्हें लेखबढ़ करके तथा संघ लीक सेवा मायोग से परामर्थ करके, इन नियमों के किसी उपपंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के पदों की बाबत, आवेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. घ्यावृत्ति—इन नियमों की कोई भात ऐसे भारक्षणों भीर ब्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाल गये भादेशों के ब्रवृत्तार भनुसूचित जातियों, भनुसूचित जन जातियों और ब्रन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना भवेकित है।

			प्रमुस्	f t		
पद का नाम	यदों की -संख्या	वर्गीकरण	बेशनमान	चयन पद ग्रथका ग्र च यन पह	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए भायु- सीमा	तीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए गैक्षिक भीर धन्य सर्हताएं
1	2	3	4.	5	6 .	7
1. प्रशीतन इंजीनियर	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' घराजपित घसिपिकवर्गीय	650-30-740-35- 810-व्यात्र-35-880 40-1000-व्यात्र-40 1200: व्य	लागू नहीं होता	35 वर्ष से मनिवक (सरकारी सेवकों के लिए शियिल की जा सकती हैं)। ठिप्पणी: मायु सीमा शिनिश्चित करने की निर्णायक सारीख भारत में रहने वालें सम्मीययों से (उनसे मिस्र जी धण्डमान मौर निकीबार द्वीप समृह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) ग्राबेवन प्राप्त करने की सन्तिम तारीख होगी।	विद्यालय से विद्युत/यांत्रिक इंजी- नियरी में उपाधि या समतस्य।

की जा सकती है)।

पशुप्रजनन के मनुसंधान पश्रमों की अमता के परीक्षण और

भौर

का भनुभव।

सैरा

वांछनीय :

वैभिसन

परीक्षण

भारत का राजपन्न : जून 3, 1978/ज्वेष्ठ 13, 1900 परिवोक्षा की भर्ती की पद्धति/सीधे भर्ती होगी प्रोप्तितिनयुक्ति/स्थानान्तरण यदि विभागीय सीधे भर्तीकिए जाने भर्तीकरने में किन परि-भवछि, यदि कोई बाले व्यक्तियों के लिए या प्रोक्रिति द्वारा या प्रतिनियुनित/- द्वारा भर्ती की वर्णा में वे श्रेणियां समिति है तो उसकी स्थितियों में संघ लोक विहित पायु भीर गीकिक हो स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोप्ति (प्रतिनियमित) संरचना सेश धायांग से परामर्श प्रहेताएं प्रोपतों की पढ़ितयों द्वारा भरी जाने वांली स्थानान्तरण किया जायगा किया जायेगा बसा में लागू होंगी रिनितयों की प्रतिशतता या नहीं Ø 10 12 लागू नहीं होता 2 वर्ष सीधी भर्ती लागू नहीं होता समिति चयन संघ लोक सेवा विभागीय प्रोप्नति समूह 'ख' के मिम्न-ष्प्रायोग के परामर्ग से लिखित सदस्य होंगें : किया जायगा। (1) उपमहानिदेशक (गोजना)---प्रध्यक्ष (2) निदेशक, प्रशासन एवं सप्तर्कता---सबस्य (3) क्षयरोग सलाहकार---सदस्य (४) उपनिदेशक (प्रशासन सं० एवं प०)--सदस्य सचिव (सीधी भर्ती डारा नियुक्ति क्रिए गए उम्मीववारीं स्थायी बनाने लिए)। 2 3 7 2. पशुचिकित्सक साधारण केन्द्रीय सेवा 650-30-740-35-लागू नहीं होता 35 वर्ष से भनकिक समूह 'ख' राजपतित 810-व० चे०-35-(सरकारी सेवकों के (1) किसी मान्यसामान्त विशव-प्रलिपिकशर्गीय 880-40-1000-40 लिये शिथिल की जा विद्यालय से पशु चिकित्सा विद्यान रो०-40-1200₹० सकती है)। उपाधि या समनुख्य । टिप्पणी: श्रायु शीमा (2) वैशानिक प्रजनन और प्रयोग-विनिधिचत करने की गाला के पशुद्रों के रख-रखाव निर्णायक तारीख भारत तथा देखभाल का 3 वर्ष का में रहने वाले अभ्याययों व्यावहारिक ग्रनुभव। (महीताएं भन्यया सुमहित प्रभय-से (उनसे भिन्न जो भन्दमान और निको-थियों की बक्षा में संघ लोक सेवा बार द्वीपसमूह तथा प्रायोग के विवेक मनुसार शिथिल लक्षद्वीप में रहते हैं) की जा सकती है, विशेष भावेवन प्राप्त करने की रूप से प्रनुभव सम्बधी प्रहेता भन्तिम तारीख होगी। मनुस्चित जातियों ग्रीर मनु-सूचित जनजातियों के प्राप्य-यियों की दशा में, उनके लिए मारक्षित पदों के लिए, बिबिल

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लाग नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पदोस्रति	चयन संघलोक सेवा
				समिति जिसके निम्न-	मायोग के परामर्श से
				लिचित सवस्य होंगें	किया जाएगा।
				(1) उपमहानिदेशक	•
				(योजना)— धध्यक्ष	
	·		4	(2) मिवेशक, प्रशासन एवं	
				सतकतासबस्य	
				(3) जयरोग सलाहकार	
				संबस्य	,
				(4) उपनिवेशक (प्रशासन	
				(सं०एबं० प०)	
			* .	सवस्य सिचव	•
				(सोधी मर्तीद्वारानियुक्त	
				किए गए उम्मीदवारों	
				को स्थायी कवाने के	
				लिए)	

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 23rd May, 1978

G.S.R. 703.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, namely:—

- 1. Short title and commencement.—These rules may be called the BGG Vaccine Laboratory Guindy, Madras (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1978.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications

and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

(श्रीमती) प्राशा शर्मा,

[सं० ए० 12018/1/77-पो ए**च**]

ग्रवर सचिव

- 5. Disqualification.—No person.—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that the Central Government may, it satisfied that such marriage is permissible under the pesonal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
- 7. Saving.—Nothing in the rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			\$(CHEDULE					
Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of I	Pay Whether Selection Post or non- Selection Post	n recruit	mit for direct s		lonal & other qu is required for di	
1	2	3	4	5	·			7	
1, Refrigeration Engineer	1 ·	General Central Service Group 'B' Guzetted, Non-Ministerial	Rs. 650-30-74 810 EB-35- 1000-EB-46	880-40 Applicat	lo years. (Related Govt. Notedated ingular	table for servants): The crucial for determinate age limit to the closing	of of sity (ii) On per and	al: Degree in Electri Enanceal Engineer a recognised Uni y or equivalent, the year's practical rience in the main the and handling edical laboratory equivalent	ering iver- ex- iten- of
				٠.	date f applic candic (other in th and	or receipt of cations from dates in India than those Andaman Nicobar and Lak-	mer pla rela tion Ser caso wise par	which laboratory equals and refrigerary equals (Qualification axable at the distance of the Union Pulvice Commission to of candidates other well-qualified; the qualification regarding experies	tions ions ions blic in her- in
		·					is r of to r and	relaxable in the c candidates belong the Scheduled Cas I the Scheduled Tri	case ping stes
**************************************					-		for the	posts reserved m.	
Whether age and educational qualications pre- scribed for direct recruits will apply in the case of Pro- motees	Period probation if any	n, by direct re promotion or	cett, or by by deputa- ind percen- ta vacancies to	In case of recit, by deputation/transfer which promo ation/transfer to be	r, grades otion/depu-	If a D.P.C. what is its co	exists,		for in
educational quali- cations pre- scribed for direct recruits will apply in the case of Pro-	probation	promotion or tion/transfer a fage of the be filled b methods	cett, or by by deputa- ind percen- ta vacancies to	deputation/transfer from which promo	r, grades otion/depu-	what is its co	exists,	Circumstances which U.P.S.C. to be consulted making rectt.	for in
educational quali- cations pre- scribed for direct recruits will apply in the case of Pro- motecs	probation if any	promotion or tion/transfer a fage of the be filled b methods	by deputa- ind percen- to vacancies to y various	deputation/transfer from which promo ation/transfer to be	r, grades tion/depu- made	What is its cotion 12 Group 'B' L mental Prof	exists, imposi- Depart- notion con- irector (P)	Circumstances which U.P.S.C. to be consulted making rectt. 13 Selection shall made in consul	in is in be
educational quali- cations pre- scribed for direct recruits will apply in the case of Pro- motecs	probation if any	promotion or tion/transfer a fage of the be filled b methods	by deputa- ind percen- to vacancies to y various	deputation/transfer from which promo ation/transfer to be	r, grades tion/depu- made	Group 'B' L mental Pror Committee sisting of :- (1) Deputy D General Chairman (2) Director, Administra	exists, emposi- Depart- notion con- irector (P)	Circumstances which U.P.S.C. to be consulted making rectt. 13 Selection shall made in consultion with tunion Pub Service Comm	in is in be lita-the olic
educational quali- cations pre- scribed for direct recruits will apply in the case of Pro- motecs	probation if any	promotion or tion/transfer a fage of the be filled b methods	by deputa- ind percen- to vacancies to y various	deputation/transfer from which promo ation/transfer to be	r, grades tion/depu- made	Group 'B' L mental Pror Committee sisting of :- (1) Deputy D General Chairman (2) Director, Administra and Vig	exists, imposi- Depart- notion con- irector (P); tion glance	Circumstances which U.P.S.C. to be consulted making rectt. 13 Selection shall made in consultion with tunion Pub Service Comm	in is in be

[No. A. 12018/1/77-PH] (Smt.) ASHA SHARMA, Under Secy.

-as abovo-

-as above

नई दिल्ली, 23 मई, 1978

Not Applicable

सांक्षांवित 704.—संविधान के धमुक्केंद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदश्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतक्द्वारा राष्ट्रीय संकारी रोग संस्थान, स्वास्थ्य भीर परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) में सहायक निर्देशक (धिकित्सीय/पशु चिकित्सक) के पत्र की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्मलिखित नियम बनाते हैं, प्रथात्:—

- संक्षिप्त सीर्यंक घौर प्रारम्भ.──(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, स्वास्थ्य घौर परिवार कस्थाण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) भर्ती नियम, 1978 है।
 - (2.) ये सरकारी राजपन्न में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगें।

By direct recruitment

- 2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.--पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वहीं होंगे जैसा कि भनुसूची के स्तन्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की विधि, प्रायुसीमा, प्रहेतायें भाषि .-- उक्त पदों पर भर्ती की विधि, प्रायुसीमा अहंतायें तथा भन्य भातें वहीं होगी जैसा कि उक्त भनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निविष्ट हैं।
 - 4. भगहेता .--कोई व्यक्ति :---

2 years

Not Applicable

- (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विकाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका की पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा
- (ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है प्रयक्षा विवाह की संपिदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पास नहीं होगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकारकायह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ग्रीर विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के ग्रधीन भ्रतुक्रेय हैं, ग्रीर ऐसा करने के भ्रन्य ग्राधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट वें सकती है।

- 5. सूट देने की शक्ति. जहां केंन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना धावश्यक था उचित है यहां वह संध लोग सेवा घायोग के परामर्श से भीर लिखित कारणों के घाधार पर घादेश हारा किसी श्रेणी या वर्गसे संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।
- 6. व्यावृत्ति:---इस संबंध में केंग्ब्रीय सरकार द्वारा समय-समय परजारी किये गये भावेशों के भ्रमुसार धनुसूचित जाति/भ्रमुसूचित जन जाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिस भ्रारक्षणों भौर भ्रम्य रियायतों की व्याधस्था करना भ्रपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।